रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228070
CG-DL-E-01072021-228070

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
No. 376] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 466(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में, अधिसूचना सं. 41/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.), जिसे सा.का.नि. सं. 451(अ), दिनांक 14 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था;—

(i)

पृष्ठ सं.	पंक्ति(यों) सं.	के स्थान पर	पढ़ें
22	21-42	"(क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) और (ठ)"	(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) और (l) क्रमशः
23	36	(4)	(3)
25	12	(5)	(2)
25	28	(6)	(3)

25	33	(7)	(4)
28	9-43	2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.	(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) और (10) क्रमशः
28	41	(4)	(5)

(ii) पृष्ठ सं. 28 में, पंक्ति सं. 46 से 51 के लिए, पढ़ें

"(11) यदि किसी एफ कार्ड या जी कार्ड या एच कार्ड जारी किये गये व्यक्ति में परिवर्तन किया जाता है और वह किसी लाइसेंसी फर्म या कंपनी के लिए सीमाशुल्क स्टेशन पर वास्तविक रूप से काम कर रहे हों, तो फर्म या कंपनी द्वारा इसकी सूचना सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त को यथाशीघ्र दी जानी चाहिए, जो भी मामला हो और ऐसी फर्म या कंपनी के लिए किसी भी 'एफ', 'जी' या 'एच' कार्ड धारकों से भिन्न किसी भी नये व्यक्ति को सीमाशुल्क स्टेशन पर काम करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा।

(12) कस्टम्स ब्रोकर कारोबार में अपने कर्मचारी के उचित आचरण को सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक निरीक्षण करेगा और ऐसे कर्मचारियों के कार्यकाल के दौरान सभी कार्यों या चूक के लिए दोषी ठहराया जा सकेगा।"

14. लाइसेंस का निरसन या जुर्माना लगाना—सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, विनियमन 17 के प्रावधानों के विषयाधीन, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर कस्टम्स ब्रोकर के लाइसेंस को निरस्त कर सकते हैं और सुरक्षा राशि के किसी भाग या पूर्ण रूप से जब्त करने का आदेश दे सकते हैं, यथा:—

(क) विनियमन 8 के अतंर्गत निष्पादित किये गये बॉण्ड की किसी भी शर्त के अनुपालन में चूक;

(ख) इन विनियमनों के किसी भी प्रावधान में चूक, चाहे वह क्षेत्राधिकार में हो या अन्यत्र कहीं;

(ग) अपने क्षेत्राधिकार या अन्यत्र कहीं दुराचरण किया हो, जिसे सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमाशुल्क स्टेशन में किसी भी कारोबार को करने के लिए अनुपयुक्त समझे;

(घ) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो;

(ङ) विकृत चित्तता; और

(च) नैतिक दुराचार या अन्यथा के किसी अपराध में लिप्त होने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो।"

(iii) पृष्ठ संख्या 29 में, 1 से 6 तक पंक्तियों का लोप किया गया है।

[मि. सं. 520/07/2013-कस्टमVI(वॉल्यूम.III)]

केविन बोबन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

CORRIGENDA

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R 466(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. 41/2018-Customs (N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section- 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.451(E), dated the 14th May, 2018;—

(i)

Page No.	Line(s) No.	for	read
22	21-42	"(क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) and (ठ)"	(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) and (l) respectively
23	36	(4)	(3)
25	12	(5)	(2)
25	28	(6)	(3)
25	33	(7)	(4)
28	9-43	2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.	(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10) respectively
28	41	(4)	(5)

(ii) in page 28, for lines 46 to 51, read

"(11) Any change in the persons issued a F card or G card or H card and actually engaged in the work in the Customs Station on behalf of a licensee firm or company shall be communicated forthwith by the firm or the company, as the case may be, to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, and no new person other than 'F', 'G' or 'H' card holders, shall be allowed to work in the Customs Station as a duly authorised employee on behalf of that firm or company.

(12) The Customs Broker shall exercise such supervision as may be necessary to ensure proper conduct of his employees in the transaction of business and he shall be held responsible for all acts or omissions of his employees during their employment."

14. Revocation of licence or imposition of penalty—The Principal Commissioner or Commissioner of Customs may, subject to the provisions of regulation 17, revoke the license of a Customs Broker and order for forfeiture of part or whole of security, on any of the following grounds, namely:—

(a) failure to comply with any of the conditions of the bond executed by him under regulation 8;

(b) failure to comply with any of the provisions of these regulations, within his jurisdiction or anywhere else;

(c) commits any misconduct, whether within his jurisdiction or anywhere else which in the opinion of the Principal Commissioner or Commissioner of Customs renders him unfit to transact any business in the Customs Station;

(d) adjudicated as an insolvent;

(e) of unsound mind; and

(f) convicted by a competent court for an offence involving moral turpitude or otherwise."

(iii) in page 29 omit lines 1 to 6.

[F. No. 520/07/2013- Cus.VI(Vol.III)]
KEVIN BOBAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.01 22:35:01 +05'30'